भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1434
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्राम पंचायतों को पाइप के माध्यम से पानी की सुविधा

1434. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने किसी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को पाइप द्वारा पानी की सुविधा प्रदान की है और यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश भर में सभी ग्राम पंचायतों को पाइप के माध्यम से पानी की सुविधा प्रदान कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो देश भर में शेष ग्राम पंचायतों में इसका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है; और
(घ) उक्त कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा, यदि कोई हो, सहित इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में निर्धारित गुणवत्ता के साथ नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। 'पेयजल' राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति की योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन एक सार्वभौमिक कार्य-परिपूर्णता दृष्टिकोण अपनाता है और इसका उद्देश्य तमिलनाडु की ग्राम पंचायतों सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करना है। जेजेएम-डैशबोर्ड पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में 2,61,377 ग्राम पंचायतों में से 1,18,231 को हर घर जल (एचजीजे) होने की सूचना दी गई है। सूचित की गई ग्राम पंचायतों का एचजीजे का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय बजट 2025 में, माननीय वित्त मंत्री ने संवर्धित वित्तीय परिव्यय के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1434 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की संख्या	एचजीजे संसूचित पंचायत	
			संख्या	%
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	75	75	100.00
2	आंध्र प्रदेश	11,109	3,084	27.76
3	अरुणाचल प्रदेश	1,922	1,922	100.00
4	असम	2,723	66	2.42
5	बिहार	8,199	5,704	69.57
6	छत्तीसगढ़	11,658	1,882	16.14
7	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव	25	25	100.00
8	गोवा	191	191	100.00
9	गुजरात	13,805	13,805	100.00
10	हरियाणा	5,976	5,976	100.00
11	हिमाचल प्रदेश	3,536	3,536	100.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	3,913	559	14.29
13	झारखंड	4,296	171	3.98
14	कर्नाटक	5,992	878	14.65
15	केरल	941	85	9.03
16	लद्दाख	178	100	56.18
17	लक्षद्वीप	10	8	80.00
18	मध्य प्रदेश	22,841	5,819	25.48
19	महाराष्ट्र	27,852	11,874	42.63
20	मणिपुर	2,245	548	24.41
21	मेघालय	6,425	2,673	41.60
22	मिजोरम	634	634	100.00
23	नागालैंड	1,414	1,019	72.07
24	ओडिशा	6,800	871	12.81
25	पुदुचेरी	108	108	100.00
26	पंजाब	12,401	12,401	100.00
27	राजस्थान	11,239	924	8.22
28	सिक्किम	195	68	34.87
29	तमिलनाडु	12,523	8,322	66.45
30	तेलंगाना	11,634	11,634	100.00
31	त्रिपुरा	1,176	158	13.44
32	उत्तर प्रदेश	58,234	17,901	30.74
33	उत्तराखंड	7,780	5,156	66.27
34	पश्चिम बंगाल	3,327	54	1.62
कुल		**2,61,377**	**1,18,231**	**45.23**

स्रोत: जेजेएम आईएमआईएस (प्रारूप जे 36)